ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 2

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता हैं, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल रीडिंग ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011–23379282, 23378436, 23379306
फैक्सः 011–23378206, ई–मेलः directoriaea@gmail.com
website: www.iaea-india.org; www.iiale.org

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 3

प्रौढ़ शिक्षा

जनवरी–मार्च 2014
वर्ष 58 अंक 1

सम्पादक मण्डल

प्रो. भवानीशंकर गर्ग (अध्यक्ष)
ए.एच.खान
डा.एल.राजा
डा. मदन सिंह
इन्दिरा पुरोहित
दुर्लभ चेतिया
मृणाल पंत
के.आर.सुशीले गौडा

सम्पादक
डा. मदन सिंह

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का 60 वां वार्षिक अधिवेशन : एक प्रतिवेदन 3

विश्वविद्यालयों को जीवनपर्यन्त शिक्षण की बागडोर संभालनी होगी 7
– राज्यपाल, गुजरात

उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण : एक नवीन परिप्रेक्ष्य 10
– भवानीशंकर गर्ग

शैक्षिक समायोजन और विद्यालय के प्रकारों का पारस्परिक संबंध 16
– अनिता कोठारी
– घीसालाल लोधा

समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता : सम्प्रेषण 22
– ब्रजेश कुमार वर्मा

प्रारंभिक स्तर पर संचालित मिड – डे – मील योजना के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन 29
– हरीश चन्द्र चौबीसा
– लक्ष्मी नारायण चौबीसा

मूल्यः 100 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 4

सम्पादकीय

बर्बरता की हद

राजधानी के किसी भी सांस्कृतिक मंच का श्रवण कीजिए आपको यह दोहराते हुए कोई न कोई अवश्य मिल जाएगा कि 'दिल्ली दिलवालों की है'। यह लघु भारत है जो देश की सांझा संस्कृति को दर्शाती है। दुनिया भर से भारत आने वाले पर्यटक दिल्ली को देख कर ऐसा मान लेते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जन–जीवन, यहां के जिन्दगी की जद्दोजहद, समृद्धि और वैभव का एक झलक तो उन्होंने पा ही लिया है। देश का शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां का प्रतिनिधित्व दिल्ली में ना हो और जहां के छात्र यहां शिक्षा प्राप्त न कर रहे हों। विश्व के न जाने कितने देशों के कितने राजनयिकों ने अपना शैक्षिक जीवन दिल्ली में बिताया होगा और आज भी वे उन दिनों को याद करते हुए भावुक हो जाते होंगे। पिछले वर्ष ही तो यहां वर्मा में मानवाधिकार की प्रतिमूर्ति और नोबल शान्ति पुरस्कार से सम्मानित यांग सांग सूकी आई थीं। अपने कालेज लेडी श्रीराम के प्रांगण में अपने पुराने साथियों एवं वर्तमान छात्रों को संबोधित करते हुए वे भावुक हो गयीं थीं। उन्होने कहा था कि भारतीय संस्कृति, परम्परा और लोकतंत्र की धारा उनके जीवन की आधारभूत प्रेरणा है।

पर इसी दिल्ली में गत 30 जनवरी और 6 फरवरी को घटी घटनाओं ने सभ्य समाज के अंतरमन को झकझोर कर रख दिया है। 30 जनवरी को दिल्ली के बहुप्रतिष्ठित लाजपत नगर मार्केट में अरूणाचल प्रदेश के 18 वर्षीय युवा नीडो तानिया की कई युवाओं ने सरेआम दिन दहाड़े पीट–पीट कर हत्या कर दी। नीडो का गुनाह बस इतना था कि हत्या करने वालों ने नीडो के वेशभूषा पर आक्षेप (कमेंट) किया था जिसका मौखिक प्रतिवाद नीडो ने किया। 6 फरवरी को कल्याणपुरी इलाके में 19 वर्षीय युवा कुलदीप की हत्या भी उसी के उम्र के कई युवाओं ने पीट–पीट कर कर दी। कुलदीप का गुनाह भी महज इतना था कि मित्र समझ कर उसने उन युवाओं को पीछे से आवाज दी थी।

कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य के दर्पण में देखो तो समाज का असली चेहरा दिख जाता है। समाज में घट रही घटनाएं भी तो समाज के वास्तविक स्वरूप को उजागर करने के लिए दर्पण का ही कार्य करती हैं। यदि इन दोनों घटनाओं के आलोक और आइने में हम अपने समाज, सांझा संस्कृति, सहिष्णुता और मूल्यबोध का चेहरा देखने की कोशिश करें तो हमारा चेहरा बडा क्रूर और बर्बर दिखता है। सामाजिक बर्बरता का यह दृश्य समस्त दिल्लीवासियों को शर्मसार करता है। शब्द नहीं सूझते स्वयं को और अपने समाज को धिक्कारने को!

किस सभ्यता और संस्कृति को हम पुष्पित–पल्लवित कर रहे हैं जिससे कि हमारे युवाओं में आदिम युगीन बर्बरता मुखरित हो रही है। यह सवाल हम सबके सामने है।

दोनों ही घटनाएं प्रशासन की संवेदनहीनता और तत्परता के न्यूनतम स्तर की ओर इंगित करती हैं। घटना घटने से पूर्व ही उसे रोक देने की तैयारी तो दूर उसे घटते हुए देखकर भी रोकने की स्थिति नहीं है हमारी। गांधी जी कहते थे कि आंख के बदले आंख लेने की राह पर चलने से कुछ ही दिनों में दुनिया अंधी हो जाएगी। यहां तो महज प्रतिवाद और सामान्य गलतफहमी पर जान लिए जा रहे हैं फिर कहां पहुंचेंगे हम! यह सवाल अन्तरमन को झकझोरता है।

नीडो की घटना की चारो ओर चर्चा हो रही है लेकिन कुलदीप की हत्या पर इतना कोहराम नहीं मचा है। पर दोनों ही घटनाओं के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। नीडो की घटना ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के मन मानस को सशंक्ति कर दिया है तो कुलदीप की घटना ने अव्यवस्थित इलाकों की अराजक स्थिति को उजागर किया है।

सवाल राजधानी के समूचे समाज के समक्ष है। क्या हमारी राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना इसी तरह दिन प्रतिदिन न्यून से न्यूनतम स्तर की ओर फिसलती चली जाएगी या हम सामूहिक रूप में इसका प्रतिकार करते हुए सचेत हो अपनी व्यवस्था को संवेदी, सचेत और तत्पर बनाएंगें ताकि देश की एकता और अखंडता पर कोई आंच न आये और समाज का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में स्वयं को असुरक्षित न समझे। यह सब कुछ व्यवस्था की जटिलताओं को बढ़ाने से नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक सोच को उत्तरोतर विकसित कर के ही किया जा सकता है।

–बी.संजय

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 5

अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का 60 वां राष्ट्रीय अधिवेशन (10 - 12 जनवरी, 2014)

एक प्रतिवेदन

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली का 60 वां राष्ट्रीय अधिवेशन दिनांक 10 से 12 जनवरी, 2014 को जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर के संयुक्त तत्त्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें 22 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग दो सौ से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में मंचासीन अतिथि गुजरात की राज्यपाल महामहिम डॉ. श्रीमती कमला, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर के चांसलर एवं भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रो. भवानीशंकर गर्ग, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के वाइस चांसलर प्रो. ओ. पी. गिल, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली के महासचिव श्री कैलाश चन्द्र चौधरी एवं जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर के वाइस चांसलर प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत थे।

अधिवेशन के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ करते हुए गुजरात की राज्यपाल महामहिम डॉ. श्रीमती कमला ने शिक्षकों एवं छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षक एवं छात्र दोनों का दायित्व है कि वे स्वयं को राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित करें। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनका दायित्व है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर साक्षरता, स्वास्थ्य तथा जनहित से संबंधित महत्त्वपूर्ण कार्यों में अपना योगदान दें ताकि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य विषय 'उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण (Lifelong Learning in Higher Education)' पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास है, जहां व्यक्ति बुद्धि के विकास के साथ–साथ श्रम के प्रति आदर भाव रखता हो। शिक्षक का दायित्व है कि वह समाज में मित्रवत् वातावरण बनाते हुए समाज की उन्नति में अपना योगदान करें।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रो. भवानीशंकर गर्ग ने कहा कि आदर्श नागरिक तैयार करने में शिक्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान, प्रमाण पत्र या उपाधि अर्जित करने के लिए ही नहीं होती। वस्तुतः इसका उद्देश्य संपूर्ण मानवता का विकास है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी प्राथमिकता गाँव का विकास होना चाहिए क्योंकि 21 वीं शताब्दी के लिए सशक्त भारत का निर्माण गाँव के विकास से ही संभव होगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के भौतिक विकास के साथ–साथ उनके शिक्षा स्तर को भी सुधारना होगा, ताकि ग्रामीण समाज देश के विकास में अपनी समुचित भागीदारी निभा सके। इस अवसर पर बोलते हुए प्रो. गर्ग ने बालिका शिक्षा के महत्त्व को राष्ट्र और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य बताया।

राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य विषय 'उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण' पर विचार व्यक्त करते हुए

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 6

प्रो. गर्ग ने कहा कि जहाँ तक भारतीय संदर्भ में जीवनपर्यन्त शिक्षण की अवधारणा का प्रश्न है तो वह पश्चिमी जगत से नितांत भिन्न है। आज शिक्षा के भारतीयकरण की आवश्यकता है जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति व मूल्यों पर केन्द्रित हो। संभवतः इसीलिए भारत सरकार ने 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीवनपर्यन्त शिक्षा के महत्त्व को समझा और इसे उच्च शिक्षा का अनिवार्य अंग घोषित किया।

राष्ट्रीय अधिवेशन के विशिष्ट अतिथि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. ओ.पी. गिल ने कहा कि आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व विद्यापीठ के संस्थापक द्वारा वंचित वर्ग की शिक्षा हेतु जो कार्य किया गया था, विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होने के उपरांत भी विद्यापीठ उस कार्य को अनवरत कर रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा के तीसरे आयाम विस्तार शिक्षा को समाज के उत्थान के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यदि शिक्षक समाज में मित्रवत् वातावरण बनाते हुए समाज के सभी वर्गों की उन्नति में अपना योगदान देंगे तो राष्ट्र निश्चित ही उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रो. एस. एस. सारंगदेवोत ने कहा कि शिक्षा, सामुदायिक विकास, संस्कृति की जीवतंता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सशक्तीकरण ही भारतीय प्रजातंत्र का आधार हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सूचनाएँ एकत्रित करना ही नहीं वरन् समतामूलक समाज का निर्माण होना चाहिए।

उद्घाटन सत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली के महासचिव श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि उक्त राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्देश्य ऐसी प्रविधियों को विकसित करना है जिससे समाज के सभी वर्गों को जीवन के किसी भी पड़ाव पर शिक्षा का अवसर प्रदान किया जा सके। इस अवसर पर श्री चौधरी ने प्रौढ़ शिक्षा संघ के विविध कार्यों की संक्षिप्त जानकारी भी प्रस्तुत की।

उद्घाटन सत्र के पश्चात् उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण पर चर्चा के तकनीकी सत्र प्रारंभ हुए। तीन दिवसीय अधिवेशन में कुल छह तकनीकी सत्र आयोजित हुए जिनके उपशीर्षक अधोलिखित थे–

1. जीवनपर्यन्त शिक्षण – उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका
2. जीवनपर्यन्त शिक्षण – मुक्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की भूमिका
3. जीवनपर्यन्त शिक्षण में शोध और मूल्यांकन
4. जीवनपर्यन्त शिक्षण में व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका
5. जीवनपर्यन्त शिक्षण में अशासकीय संगठनों की भूमिका

छह तकनीकी सत्रों के दौरान लगभग 35 शोध पत्रों का वाचन किया गया और उन सभी पर सारगर्भित विचार विमर्श किया गया।

उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण विषयक बीज वक्तव्य में उच्च शिक्षा में मातृभाषा की भूमिका पर पत्र वाचन हुआ, जिसमें बताया गया कि उच्च शिक्षा का मातृभाषा में प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। पत्र में जर्मन लैंग्वेज सोसाइटी के एक सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए यह भी बताया

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 7

गया कि वर्तमान विश्व में छह से सात हजार भाषाएँ विद्यमान हैं, जिनमे 10 प्रतिशत भाषाएँ अगली शताब्दी तक अपना अस्तित्व खो देंगी तो उससे अगली शताब्दी में 75 प्रतिशत भाषाएँ सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। यह सत्य है कि विश्व में लगभग 100 भाषाएँ बोली जा रही है पर इनमें से आठ–चीनी, अंग्रेजी, हिन्दी, स्पेनिश, रूसी, बंगाली, अरबी और पुर्तगीज ही प्रमुख हैं। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा के नियन्ताओं का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे मातृभाषाओं में शिक्षण के अवसरों को विकसित करने हेतु आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ।

कुल छह तकनीकी सत्रों में भारत में जीवनपर्यन्त शिक्षण के लिए शोध एवं विकास की रणनीति, उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण–विश्वविद्यालयों की भूमिका, 21 वीं. शताब्दी में जीवनपर्यन्त शिक्षा/शिक्षण एवं आध्यात्मिकता, जीवनपर्यन्त शिक्षण में संचार माध्यमों का उपयोग – एक तकनीकी शैक्षणिक रणनीति, जीवनपर्यन्त शिक्षण में व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका, पंजाब में साक्षरता के स्तर में विषमताएँ–एक प्रवृतिमूलक विश्लेषण, महिलाओं में प्रारंभिक स्तर पर कैंसर ज्ञान के लिए जीवनपर्यन्त शिक्षा से स्वास्थ्य जागरूकता, गांधीग्राम सरल इंस्टीट्यूट, गांधी ग्राम के विशेष संदर्भ में उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण, जीवनपर्यन्त शिक्षण में संगीत और लय का योगदान, जीवनपर्यन्त शिक्षण और विश्वविद्यालयों की भूमिका, जीवनपर्यन्त शिक्षण को संरचनात्मकतावाद और तकनीक से प्रौन्नत करना, अध्यापकों के लिए निष्पादन के आयाम, व्यावसायिक जीवनपर्यन्त शिक्षण : व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका, उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण : एक पुनरावलोकन, गुजरात रिसर्च सोसाईटीज सेन्टर फॉर लाईफ लौंग लर्निंग के विशेष संदर्भ में जीवनपर्यन्त शिक्षण में व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका, पश्चिम बंगाल में मुक्त विद्यालय : समस्याएँ एवं परिदृश्य, उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण के लिए नामांकित विद्यालयी अध्यापकों की चुनौतियाँ एवं अपेक्षाएँ, भारतीय उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण–वैश्वीकरण के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों का आलोचनात्मक विश्लेषण, अविनाशालिंगम जन शिक्षण संस्थान, कोयम्बटूर द्वारा कौशल विकास के लिए उद्योगों तथा संस्थानों के साथ जीवनयापन वृद्धि के उपाय, पूर्व शिक्षण की मान्यता का क्षेत्र, मान्यता और प्रमाणिकता–तिरूअनंतपुरम, केरल में एक वस्त्र निर्माण इकाई का अध्ययन आदि विषयों पर पत्र वाचन किया गया।

शोध–पत्रों द्वारा प्रस्तुत कलेवर के अवलोकन एवं अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ द्वारा निर्धारित विषय समयोचित था, जिसकी उपयोगिता को शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत समस्त संस्थानों ने समझा और उन पर अपने अनुभवों के आधार पर पत्र वाचन किया। निश्चय ही इन पत्रों से विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों एवं संगठनों तथा राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नीति नियामकों को जीवनपर्यन्त शिक्षण एवं उच्च शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करने में मदद मिलेगी।

प्रतिभागियों द्वारा किए गये विभिन्न अध्ययनों से यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा समस्त मानवता के आध्यात्मिक, शैक्षिक, तकनीकी एवं आर्थिक विकास के लिए प्रथम अनिवार्यता है और यह उसी अवस्था में संभव हो सकता है जब शिक्षा का सार्वजनीकरण किया जाए अर्थात् साक्षरता से लेकर

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 8

उच्च व तकनीकी शिक्षा के सभी आयाम समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन की किसी भी अवस्था में उसके इच्छित स्थान व समय पर उपलब्ध हों, जब तक हम यह नहीं सुलभ करा सकेंगे तब तक जीवनपर्यन्त शिक्षा के उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन 12 जनवरी, 2014 को समापन सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्यअतिथि प्रो. भवानीशंकर गर्ग ने कहा कि जीवनपर्यन्त शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो स्वेच्छा और अतःप्रेरणा से सचांलित होती है जिसके तहत व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शिक्षा की इस पद्धति से प्रतिस्पर्धा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में सहायता प्राप्त होती है। साथ ही यह पद्धति इस तथ्य को बढ़ावा देती है कि सीखने की प्रवृत्ति को बाल्यकाल, प्रौढ़ अवस्था अथवा कक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि जीवनपर्यन्त शिक्षा व्यक्ति अपने जीवनकाल में कभी भी प्राप्त कर सकता है। समारोह के मुख्यअतिथि प्रो. पी.ए. रेड्डी ने कहा कि समाज के लिए जीवनपर्यन्त शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण कार्य व्यवहार है तथा सामाजिकता की दृष्टि से मनःस्थिति का निर्माण कर इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है।

समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि यह अत्यन्त खेद का विषय है कि वर्तमान भारत में आज भी 92.4 प्रतिशत कामगार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यदि हम जीवनपर्यन्त शिक्षा के द्वारा तकनीकी कौशल में सुधार कर सकते हैं तो यह उनके जीवन के लिए महती उपलब्धि होगी, ऐसा करके हम उनको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सकेंगे और वे एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे।

❍❍❍❍❍

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 9

विश्वविद्यालयों को जीवनपर्यन्त शिक्षण की बागडोर संभालनी होगी

–महामहिम डॉ. श्रीमती कमला जी

जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय के तत्वावधान में अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली द्वारा आयेजित 60 वें अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुझे आप सभी के बीच सम्मिलित होने का अवसर मिला, यह हर्ष की बात है। मैं इस विश्वविद्यालय के आयोजकों को भी बधाई देती हूं जिन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण सम्मेलन को आयोजित किया है, जो आगामी वर्षों में प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

मुझे बताया गया है कि दोनों संगठन स्वतंत्रता पूर्व से ही निरक्षरता निवारण तथा विपन्न वर्गो, अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं ग्रामीण तथा नगरीय निर्धन महिलाओं के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक चेतना के कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं। यह बहुत ही गौरव की बात है कि ये दोनों संगठन स्वतंत्रता पूर्व से निरक्षरता निवारण एवं पिछडे एवं गरीब तबके के लोगों के लिए कार्यशील रहे हैं। मैं समझती हूं कि मुश्किल से ऐसी कुछ ही गिनी चुनी संस्थाएं होंगी, जिन्होंने इतनी दीर्घ अवधि से इस प्रकार जनहित के कार्यों को अपना उद्देश्य बनाया है। मैं दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों को बहुत– बहुत धन्यवाद देती हूं।

इस तीन दिवसीय सम्मेलन में प्रौढ शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों का चयन किया गया है जिसमें उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण सहित उच्च शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में गहन विचार–विमर्श होगा। राष्ट्र की शिक्षा नीति के निर्माताओं के द्वारा यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर आई खुशहाली और समृद्वि के समान वितरण के लिये यह आवश्यक है कि देश की प्रत्येक महिला और पुरुष को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान किये जाने के उपाय किये जाएं क्योंकि शिक्षा किसी भी राष्ट्र और समाज में परिवर्तन लाने का एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है।

देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 में ही जीवनपर्यन्त शिक्षण के महत्व को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। 1986 की भारतीय शिक्षा नीति , जो 1992 में संशोधित की गयी थी, में जीवनपर्यन्त शिक्षा को शिक्षा प्रक्रम का उद्देश्य माना गया है। सार्वजनिक साक्षरता, युवकों, गृहिणियों, कृषकों, औद्योगिक कामगारों एवं व्यावसायिकों के लिए निरंतर शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराने की पूर्व अवधारणा इस में की गई है, ताकि य सभी वर्ग पुनः अपनी रुचि के अनुरुप अपने इच्छित स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर सकें। भारत सरकार द्वारा पुनः 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में भी निरंतर शिक्षा के क्षेत्र को विस्तार

प्रदान करते हुए यह उल्लेख किया गया था कि निरंतर शिक्षा को जीवनपर्यन्त शिक्षा एवं जागरुकता कार्यक्रमों में अंगीभूत किया जाए।

11 वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारुप के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि देश की प्रगति में नवीन तकनीकी को सीखने और उसको प्रयोग में लाने के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। इस प्रारुप में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सामान्य रूप से तकनीकी कौशल के विकास द्वारा भी समाज को अधिकाधिक संपन्न बनाया जा सकता है।

शिक्षा के सार्वजनिकरण को केवल प्रौढ एवं निरंतर शिक्षा के संस्थानों, अशासकीय संस्थानों तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न ऐसे संस्थानों, जो अनौपचारिक शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न हैं, तक ही केवल सीमित नही किया जा सकता है, क्योंकि अब वह समय आ गया जब उच्च शिक्षण संस्थान अथवा विश्वविद्यालयों को भी जीवनपर्यन्त शिक्षण के कार्यों को महत्व देना होगा और इन संस्थानों और विश्वविद्यालयों को शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए आगे आकर जीवनपर्यन्त शिक्षण की बागडोर संभालनी होगी । इन संस्थानों को अनिवार्यतः अपने समीपवर्ती क्षेत्र के प्रौढ साक्षरों, अप्रशिक्षित एवं अर्ध प्रशिक्षित कामगारों, गृहिणियों, कृषकों और औद्योगिक कामगारों को उनकी रुचि के अनुरुप शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्मित कर उन्हें कार्यान्वित करना होगा। इतना ही नहीं, इन उच्च शिक्षा के संस्थानों को समाज के प्रत्येक सदस्य को संस्थान परिसर अथवा उसके बाहर ऐसा मित्रवत वातावरण उपलब्ध कराना होगा जिससे समाज के सभी वर्गों के स्त्री एवं पुरुष, जो विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से अपनी युवावस्था में शिक्षा के अवसर नही प्राप्त कर सके थे, अब स्वयं को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर सकें।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है। इसके लिये उच्च शिक्षा के संस्थानों को अपनी नियमनिष्ठ प्रणाली में अनिवार्य न्यूनतम योग्यता, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं अध्यापन तथा एक निश्चित समय में परीक्षा आयेजित करने जैसी मनोवृति में इस वर्ग के लिए परिवर्तन करना होगा। जीवनपर्यन्त शिक्षण की सफलता के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों को इस वर्ग के अध्ययन एवं परीक्षा की लचीली प्रविधियों को अपनाना होगा जो उनकी रुचि और समयानुरुप हों। उच्च शिक्षण संस्थान समाज के इस वर्ग के कौशल में वृद्धि करने तथा इन्हें शिक्षित करने के लिये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जैसे माध्यमों को भी अपना सकते हैं और इस माध्यम द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को उनके अनुकूल समयानुसार उनके इच्छित विषय का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं । उच्च शिक्षण संस्थानों के सम्मुख यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इन संस्थानों का यह सामाजिक दायित्व भी है कि ये संस्थान नए उभरते भारतीय समाज की आकांक्षाओं के अनुरुप स्वयं को परिवर्तित कर सामाजिक उत्थान में बराबरी के हकदार बनें । शिक्षा का उद्देश्य केवल गुणवत्ता का सुधार ही नहीं बल्कि सर्वांगिण विकास का भी है।

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 11

मैं आशा करती हूं कि इस सम्मेलन में समूचे देश के विभिन्न अंचलों से आये विद्वान इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार मंथन करके, जिन निष्कर्षों पर पहुंचेंगे, उनकी फलश्रुति जनहित में दिशा सूचक सिद्ध होगी ।

अंत में, मैं पुनः आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन में आमंत्रित किया। उपस्थित सभी को मेरी मंगलकामनाएं एवं शुभाशीष।

धन्यवाद। जयहिन्द।

(भारतीय प्रौढ़ शिक्षा सघं एवं जर्नादन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रुप से उदयपुर में आयेजित 60 वें राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में गुजरात की राज्यपाल महामहिम डॉ. श्रीमती कमला जी का अभिभाषण)

❍❍❍❍❍

PROUDH SHIKSHA
FORM–IV

1. Place of Publication	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate New Delhi– 110 002
2. Periodicity of Publication	Quarterly
3. Printer's name Nationality Address	Dr. Madan Singh Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi– 110 002
4. Publisher's name Nationality Address	Dr. Madan Singh Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi– 110 002
5. Editor's name Nationality Address	Dr. Madan Singh Indian 17-B, Indraprastha Estate New Delhi– 110 002
6. Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders, holding more than one percent of the total capital	Indian Adult Education Association 17-B, Indraprastha Estate New Delhi– 110 002

I, Dr. Madan Singh, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.
Dated: 12-3-2014

Sd/-
Dr. Madan Singh
Signature of Publisher

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 12

उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण : एक नवीन परिप्रेक्ष्य

–प्रो. भवानीशंकर गर्ग

उच्च शिक्षा में जीवनपर्यन्त शिक्षण – एक नवीन संदर्भ

सन् 1986 की भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो 1992 में पुनर्संशोधित हुई, में यह विचार किया गया कि जीवनपर्यन्त शिक्षण शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसमें सार्वभौमिक साक्षरता तथा युवाओं, गृहिणियों, कृषकों एवं औद्योगिक कामगारों और पेशवरों के लिए उनकी रूचि एवं सुविधाजनक स्थान पर शिक्षा को विस्तार प्रदान किए जाने की कल्पना पहले से समाहित है।

इसी प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जीवनपर्यन्त शिक्षण एवं विस्तार कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में भी इस तथ्य पर बल प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देश कहते हैं कि '' देश में अनेक अशासकीय संगठन, शासकीय संगठन एवं विश्वविद्यालय गत तीन दशकों से प्रौढ़ एवं निरन्तर शिक्षा की अनेक योजनाओं में संलग्न हैं जिसका प्रमुख कारण भारत में निरक्षरों और नव साक्षरों की बडी आबादी है। एनएलएम लिटरेसी फैक्ट्स – एट ए ग्लांस 2007 के अनुसार तब देश में निरक्षरों की संख्या 300.14 मिलियन तथा नव साक्षरों की संख्या 110 मिलियन आंकी गयी थी।

जहां तक भारतीय संदर्भ में जीवनपर्यन्त शिक्षण की अवधारणा का प्रश्न है तो वह पश्चिमी जगत से नितांत भिन्न है। भारतीय समाज में शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही स्वरुप विद्यमान रहे हैं। एक लम्बे अरसे तक गुरूकुल भारतीय समाज के उच्च वर्ग के लिए शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे। इसके अतिरिक्त मंदिर भी समाज में औपचारिक शिक्षण की व्यवस्था करते थे जिसका प्रमुख दायित्व मंदिर के पुरोहित पर होता था। मंदिर का पुरोहित मात्र पुरोहित न होकर समाज का मित्र, विचारक एवं दिशा–निर्देशक भी होता था। साथ ही, विभिन्न अवसरों पर विभिन्न वर्गों के लिए धार्मिक प्रवचनों का आयोजन कर आमजन को शिक्षित करना भी उसका नैतिक कर्त्तव्य होता था। वैदिक व्यवस्था के अतिरिक्त बौद्ध मठ भी औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने के सक्रिय केन्द्र थे। बौद्ध मठों के द्वार समाज के सभी वर्गों के लिए खुले होते थे। इसके पश्चात् जब भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ तो मदरसों, चर्चों, मस्जिदों और ईसाई मठों ने अपने–अपने धर्मावलम्बियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

जीवनपर्यन्त शिक्षण : उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका

11वीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय (2007–2012) भारत सरकार ने निरन्तर शिक्षा के क्षेत्र

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 13

का विस्तार करते हुए एक नवीन विचार प्रतिपादित कर निरन्तर शिक्षा को जीवनपर्यन्त शिक्षण और ज्ञान के विस्तार का स्वरूप प्रदान किया। यह विचार आंशिक रूप से वैश्विक विचारों के आदान–प्रदान और देश तथा देश के बाहर हो रहे सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों का प्रतिफल था। इस समय तक भारत सरकार को यह आभास हो गया था कि नवीन तकनीकी कौशल के ज्ञान के अभाव में राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में वृद्धि नहीं की जा सकती है। अतः सामान्य कामगारों तथा ऐसे श्रमजीवी समूहों, जो कि रोजगार में हैं या रोजगार की कतार में हैं, के तकनीकी कौशल में वृद्धि का उपाय किया जाना अपरिहार्य है। इसका तात्पर्य देश के 92.4 प्रतिशत कामगार जो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं (नेशनल सैम्पल सर्वे, 61वां राउण्ड, 2004–05), के तकनीकी कौशल में बढोतरी के लिए नियमित सुधारात्मक उपाय किया जाना था ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं तथा अवसर उपलब्ध कराए जाने की नितान्त आवश्यकता प्रतिपादित होती है। भारत के विश्वविद्यालयों को भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों में भी इस तथ्य पर बल दिया गया है कि जीवनपर्यन्त शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए विश्वविद्यालयों को सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यमों को संघटित कर अपने द्वार प्रौढ़ अभ्यर्थियों के लिए खोलने होंगे। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों को अपने परिसर का वातावरण भी प्रौढ़ अभ्यर्थियों के लिए मित्रवत् बनाना होगा पर यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जीवनपर्यन्त शिक्षण योजना मई, 2013 से स्थगित कर दी गई है। चाहे जो भी हो, विश्वविद्यालय किसी भी अवस्था में समाज के प्रति अपनी भूमिका के निर्वाह से विमुख नहीं हो सकते हैं। जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट गांधीग्राम, तमिलनाडु तथा गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, गुजरात जैसे अनेक विश्वविद्यालय हैं जिनमें स्थायी प्रकृति के प्रौढ़ एवं निरन्तर शिक्षा के विभाग हैं और वे सफलतापूर्वक अपने समीपवर्ती समाज के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

जीवनपर्यन्त शिक्षण एक अत्यन्त व्यापक पारिभाषिक शब्द है जो स्वेच्छा और अन्तःप्रेरणा से व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करने की निरन्तर प्रक्रिया है। शिक्षा की यह पद्धति प्रतिस्पर्धा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में भी सहायता करती है। साथ ही यह पद्धति इस तथ्य को भी बढ़ावा देती है कि सीखने की प्रवृति को बाल्यकाल, प्रौढ़ावस्था अथवा कक्षा–कक्ष तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया जीवनपर्यन्त चलती रहती है और इसे किसी भी स्थान पर प्रारम्भ किया जा सकता है। यहां तक कि जब हम किसी से वार्तालाप कर रहे होते हैं अथवा नवीन स्थलों पर पर्यटन के लिए गए होते हैं तो उस समय भी हम स्वयं को नवीन ज्ञान और विचारों से परिपूर्ण कर रहे होते हैं। इस प्रकार से जीवनपर्यन्त शिक्षा के लिए व्यक्ति में केवल सीखने की इच्छा का होना अनिवार्य है। यहां उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है। इस हेतु विश्वविद्यालय प्रौढ़ों के लिए प्रौढ़ शिक्षण केन्द्रों के रूप में ऐसे

अवसर उपलब्ध करा सकते हैं जो उनके समीपवर्ती क्षेत्र में अवस्थित हों और जहां पहुंचकर वे अपनी आवश्यकतानुरूप सुविधाएं प्राप्त कर सकें।

भारत में कई उच्च शिक्षण संस्थानों ने ऐसे प्रावधानों की व्यवस्था की है जहां समाज के सभी लोग अपने इच्छित समय में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा को पूर्ण कर सकते हैं ऐसा इसलिए कि जीवनपर्यन्त शिक्षण को समय, स्थान, पाठ्यक्रम और परीक्षा जैसे औपचारिक शिक्षा माध्यमों की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। यदि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान वास्तविक रूप से समाज के सभी वर्गों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें भी अपने द्वार सभी के लिए और सभी आवश्यकताओं के अनुरूप खुले रखने होंगे। साथ ही विश्वविद्यालयों को अपने प्रसार अथवा विस्तार शिक्षा के विभागों को भी सुदृढ करना होगा क्योंकि प्रसार शिक्षा को अध्यापन और शोध के समकक्ष माना गया है। इसके अलावा अपने समीपवर्ती क्षेत्र में अवस्थित समाज की आवश्यकताओं को चिह्नित कर विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा नवीन शिक्षण कार्यक्रम भी लागू कर सकते हैं।

आवश्यकतामूलक ये कार्यक्रम औपचारिक शिक्षा के नियमों से स्वतंत्र होने चाहिए तथा इनकी पठन–पाठन सामग्री के चयन का अधिकार भी समुदाय के पास सुरक्षित होना चाहिए। इतना ही नहीं, इनके संचालन के लिए आवश्यक शिक्षण विधि व मूल्यांकन पद्धति के निर्धारण का अधिकार भी समुदाय के सदस्यों के पास ही होना चाहिए। विश्वविद्यालयों के समीपस्थ स्थानों पर सामुदायिक संगठन और केन्द्र निर्मित कर इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ द्वारा विभिन्न गांवों में जन शिक्षण एवं विस्तार कार्यक्रम निदेशालय के अन्तर्गत सामुदायिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जहां ग्रामवासी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, संगठन, भजन मंडली, रात्रिकालीन कक्षाओं एवं अन्य माध्यमों से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान प्राप्त करते हैं।

जीवनपर्यन्त शिक्षण : खुले विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों की भूमिका

भारत में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम अनेक विश्वविद्यालयों एवं विशेष रूप से खुला विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालय समाज के उस वर्ग की जो अपनी क्षमताओं और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना चाहता है, के तकनीकी शिक्षण संबंधित जरुरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए दूरस्थ शिक्षा के तहत लघु अवधि के पाठ्यक्रम संचालित कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों की रचना करते समय मुख्य ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि संबंधित पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इन पाठ्यक्रमों की रचना करते समय दूरस्थ शिक्षा के नियामकों को यह तथ्य केन्द्र में रखना होगा कि पाठ्यक्रमों की प्रकृति लचीली होनी चाहिए। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं विभिन्न औद्योगिक समूहों से सम्पर्क कर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप भी पाठ्यक्रम निर्मित कर सकती हैं। मेरे विचार में ऐसी योजनाओं को सार्वजनिक और

निजी दोनों प्रकार के औद्योगिक संस्थानों के प्रशासक सहर्ष स्वीकार करेंगे, क्योंकि अपने कामगारों के कौशल में वृद्धि और अंततः इससे अपने उद्योग के उत्पादन और परिलाभ में वृद्धि की इच्छा सभी प्रतिष्ठान रखते हैं।

वर्तमान में, अनेक स्वशासी शिक्षण समूह भी अस्तित्व में आ गये हैं। ये प्रथमतः अपने समूह सदस्यों की क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं और तदुपरांत समाज के विभिन्न वर्गों को अपने शिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ते हैं। इनकी एक विशेषता यह होती है कि इनमें ना तो प्रवेश लेने के लिए निर्धारित योग्यता की आवश्यकता होती है और ना ही प्रतिभागियों को किसी प्रकार का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। कुछ शैक्षिक कर्मियों ने इसको 'यूनिवर्सिटी ऑफ थर्ड एज' नाम दिया है।

जहां तक भारतीय उपमहाद्वीप का प्रश्न है, यहां बांग्लादेश खुला विश्वविद्यालय एक ऐसा महत्वपूर्ण उदाहरण है जो सामान्य पुरूषों एवं स्त्रियों को सफलतापूर्वक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वर्ष 2010–11 के पंजीयन क्रमांक के अनुसार बांग्लादेश खुला विश्वविद्यालय 6 विद्यालयों के माध्यम से 23 औपचारिक और 19 अनौपचारिक कार्यक्रमों द्वारा 3,78,382 छात्र/छात्राओं को शिक्षा उपलब्ध करा रहा है। बांग्लादेश खुला विश्वविद्यालय के अधिकांश पाठ्यक्रम व्यावसायिक अभिवृद्धि से सम्बद्ध हैं और इनमें प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थी भी कामगार हैं तथा वे अपनी सुविधा के अनुरूप समय में यहां अध्ययन हेतु जाते हैं। यूरोप में स्वीडन एक ऐसा देश है जहां पर समुदाय के निमित सभी वर्गों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हैं। स्वीडन में एक शताब्दी पूर्व 'स्टडी सर्कल' का विचार विकसित हुआ था जो आज भी प्रौढ़ शिक्षा की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सफलतापूर्वक कर रहा है। स्वीडन का यह उदाहरण और विचार आज यूरोप के अन्य देशों में भी प्रसार पा चुका है, उदाहरण के लिए फिनलैंड में 'स्टडी सर्कल' शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम लोकतंत्रीय स्वरूप प्रदान करता है। 'स्टडी सर्कल' के सदस्य ही इसके विषय–वस्तु, क्षेत्र तथा शिक्षण विधि का निर्धारण करते हैं।

यूरोप में प्रचलित फॉक हाई स्कूलों ने आम जनता को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। मेरे विचार से फॉक हाई स्कूल जीवनपर्यन्त शिक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है। एन. एफ. एस. गुन्इविग फॉक हाई स्कूल के संस्थापक थे और प्रथम फॉक हाईस्कूल सन् 1844 में डेनमार्क में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य समाज के कृषक वर्ग तथा अन्य सामाजिक सोपानों के सदस्यों को व्यक्तित्व विकास के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना था। इस तरह से फॉक हाई स्कूल शिक्षा एवं संस्कृति के रूढ़िवादी विचारों के विरूद्ध था।

संभवतः इससे ही प्ररेणा लेकर भारत सरकार द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास योजना प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत पांच जनता कॉलेज तथा विभिन्न सामुदायिक केन्द्र प्रारम्भ किए गए। ये जनता कॉलेज फॉक हाई स्कूल की तर्ज पर ही प्रारम्भ किए गए थे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रौढ़ एवं सामुदायिक शिक्षा से युग्मित करना था। राजस्थान विद्यापीठ ने भी भारत सरकार की अनुशंसा पर इस योजना को स्वीकार कर इसके अन्तर्गत

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 16

अनेक गतिविधियों को संचालित किया।

जीवनपर्यन्त शिक्षण में शोध एवं मूल्यांकन :

जीवनपर्यन्त शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा पद्धतियों से नितान्त भिन्न है। यह सीखने की वह प्रक्रिया है जो जीवनपर्यन्त निरन्तर चलती रहती है। इसके तहत समाज के विभिन्न वर्ग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने बेहतर भविष्य के लिए स्वयं को शिक्षित करते रहते हैं। इसलिए, समुदाय को ही इसके मूल्यांकन का आधार निर्धारित करना चाहिए। यह एक नवीन उदित हो रहा आयाम है। अतः इसकी शिक्षण प्रविधि और मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण किए जाने के लिए अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता है। मेरे विचार से सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के उपकरणों को आवश्यक परिवर्धनों के साथ जीवनपर्यन्त शिक्षण के शोध हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। जहां तक इसके मूल्यांकन का प्रश्न है तो उसका निर्धारण शिक्षा प्राप्त कर रहे वर्ग द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसके मूल्यांकन में जीवनपर्यन्त शिक्षण प्रायोजनाओं का संचालन कर रहे अभिकरणों की भूमिका केवल प्रबोधक की हो सकती है।

व्यावसायिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का जीवनपर्यन्त शिक्षण में योगदान :

जीवनपर्यन्त शिक्षण में उन संस्थाओं का जो कि व्यावसायिक कौशल के विकास में संलग्न हैं, महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा इसलिए कि लाभप्रद रोजगार के अभाव में देश के ग्राम, कस्बे, यहां तक कि नगरों में निवास करने वाले विभिन्न वर्ग अभी तक सम्मानित जीवन जीने के हकदार नही बन सकें हैं, और इस योग्य बनने के लिए उन्हें तकनीकी कौशल अभिवृद्धि हेतु प्रशिक्षण की नितान्त आवश्यकता है। अतः विश्वविद्यालयों के विस्तार शिक्षा विभागों तथा अशासकीय संगठनों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे विभिन्न सामुदायिक वर्गों की आवश्यकताओं को चिन्हित करें तथा इन सामुदायिक वर्गों और विभिन्न अभिकरणों, जो व्यवसायिक कौशल के प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं जैसे केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड तथा विभिन्न उद्योगों के श्रमिक विभागों के मध्य तादात्म्य स्थापित करें। यहां मैं राजस्थान विद्यापीठ का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसके स्वयं के विभिन्न गांवों में सामुदायिक केन्द्र हैं जो स्थानीय ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप उनके कौशल विकास का कार्य कर रहे हैं। सामुदायिक केन्द्रों के अतिरिक्त विद्यापीठ में प्रत्येक संकाय के अधीन एक सामुदायिक शिक्षण प्रकोष्ठ है। प्रत्येक प्रकोष्ठ समीपवर्ती क्षेत्र का सर्वेक्षण कर अपने विभाग की प्रवृति के अनुरूप विभिन्न सामुदायिक वर्गों को कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराता है।

जीवनपर्यन्त शिक्षण में अशासकीय संगठनो की भूमिका

अशासकीय संगठनों का जीवनपर्यन्त शिक्षण आंदोलन के प्रसार में ध्रुवीय भूमिका है। वर्तमान में, अधिकांश अशासकीय संगठन शासकीय नीतियों के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरणों की योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य कर रहे हैं। योजनओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से ये सभी अशासकीय संगठन

अपने आप में महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो अत्यन्त ही प्रमुख भूमिका का निर्वहन करते हैं। कई संगठन ऐसे भी हैं जो सामुदायिक वर्गों के लिए उनके लक्ष्य के अनुरुप निर्धारित कार्यक्रम संचालित करते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि जीवनपर्यन्त शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जाए तो हमें उन अशासकीय संगठनों को विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना होगा जो लक्ष्य निर्धारित कार्य करते हैं।

ऐसे लक्ष्य आधारित अशासकीय संगठन विभिन्न सामुदायिक वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरुप जीवनपर्यन्त शिक्षण योजनएं निर्मित कर उन्हें समुदाय विशेष की सुविधानुसार संपादित करेंगे। इस प्रकार से ये अशासकीय संगठन जीवनपर्यन्त शिक्षण आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे जो वास्तव में विभिन्न सामुदायिक वर्गों की आवश्यकताओं के अनुकूल होगा।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक नीतियों और सूचना विज्ञान में हो रहे नित–नवीन अनुसंधानों एवं इनके कारण दिन–प्रतिदिन हर क्षण ज्ञान के आलोकित नए आयामों के इस दौर में जीवनपर्यन्त शिक्षण समय की आवश्यकता है। इसलिए जीवनपर्यन्त शिक्षण योजनाओं की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए जो नवीनतम ज्ञान से कदमताल मिलाकर चल सकें। इसके लिए आवश्यक है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थान अपने सुविधा क्षेत्र (कम्फर्ट जोन) का त्याग करें, क्योंकि सभी उच्च शिक्षण संस्थान समाज के प्रति उत्तरदायी हैं और वे इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

संदर्भ :

1. अजय कुमार, फिलॉसोफिकल बैकग्राउण्ड ऑफ एडल्ट एंड लाइफ लॉग लर्निंग, पृ. 36
2. www.unesco.org/education/alladihn/paldirpdf.course01/unit30,pdf.
3. नेशनल पॉलिसी ऑफ एजूकेशन इन इंडिया, 1986 (1992 में मॉडीफाइड)
4. एनएलएम लिटरेसी फैक्टस एट ए ग्लांस, 2007
5. नेशनल सैम्पल सर्वे, 61035, 2004–05
6. बाशम, ए.एल. : द वंडर दैट वाज इंडिया।

(भारतीय प्रौढ शिक्षा सघं एवं जर्नादनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रुप से उदयपुर में आयेजित 60 वें राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रो. भवानीशंकर गर्ग, चांसलर, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड) विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं अध्यक्ष, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, नई दिल्ली का अभिभाषण)

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 18

शैक्षिक समायोजन और विद्यालय के प्रकारों का पारस्परिक सम्बन्ध

– अनिता कोठारी

– घीसालाल लोधा

वर्तमान शिक्षा प्रक्रिया में बालक के अधिकतम विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाते हैं क्योंकि वह समाज का एक अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग होता है तथा प्रत्येक बालक से समाज की आपार अपेक्षाएँ होती हैं। छात्र का विद्यालयी जीवन विद्यालय के साथ उसके सम्बन्धों के अनुकूल समायोजन पर निर्भर करता है। शिक्षा की दृष्टि से बालक का अपने विद्यालय के वातावरण में समायोजित होना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। विद्यालय के वातावरण के साथ बेहतर समायोजित होने पर शिक्षा संबंधी उसकी ग्राह्यता बेहतरीन हो सकती है और वह अपने भावी जीवन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकता है।

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों के स्वाभाविक विकास एवं सामंजस्यपूर्ण उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह बालक को भावी जीवन जीने तथा नागरिकता के कर्त्तव्य और दायित्वों के निर्वहन के लिए तैयार करती है जो समाज, देश और विश्व के लिए हितकर होते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसके तीनों अंग शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम में उचित समायोजन होने पर ही आशानुकूल प्रगति सम्भव है। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है जिसके बिना राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में शिक्षा का प्रसार एवं प्रचार तो तीव्र गति से हुआ किन्तु प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं होने के कारण शुरूआती दौर से ही अप्रशिक्षित अध्यापकों को चयनित करना पड़ा था। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। यह सब शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास से ही संभव हो सका है।

कोठारी आयोग (1964–66) ने भी इस वस्तु स्थिति को स्वीकार किया है और सिफारिश की है कि विद्यार्थियों में सन्तुलित चरित्र, नेतृत्व एवं स्वावलम्बन लाने के लिए विद्यालय के वातावरण को उत्तरोत्तर बेहतर बनाया जाना चाहिए।

मुदालियर आयोग (1952–53) ने भी विद्यालयों के स्वरूप, संरचना तथा प्रमुख क्रियाओं पर दुरगामी चिन्तन एवं मनन किया जिसके परिणामस्वरूप आज विद्यालयों में शैक्षिक तथा शारीरिक गतिविधियों का समुचित विकास हो रहा है।

समस्या कथन :

''छात्रों के शैक्षिक समायोजन का विद्यालयों के प्रकारों में परस्पर संबंध''।

अध्ययन कथन :

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 19

1. उदयपुर नगर में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन।
2. विद्यालयों के प्रकार और छात्र के शैक्षिक समायोजन में परस्पर सम्बन्ध।
3. छात्रों के शैक्षिक समायोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन।

शोध समस्या की परिसीमाएँ

1. उच्च माध्यमिक स्तर तक के छात्रों का अध्ययन किया गया है।
2. उन्हीं छात्राओं का अध्ययन किया गया है जो विद्यालय में तीन साल से अध्ययनरत हैं।
3. उन्हीं विद्यार्थियों का अध्ययन किया गया है जो सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करते हैं।
4. अध्ययन को उदयपुर नगर तक ही सीमित रखा गया है।

विधि उपकरण एवं प्रविधियाँ

विधि : आदर्श मूलक सर्वेक्षण विधि का चयन।

उपकरण : विद्यालय के शैक्षिक समायोजन सम्बन्धित आकड़े एवं सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु स्व निर्मित प्रश्नावली का निमार्ण किया गया। साथ ही ए.के.पी. सिन्हा और आर.सी. सिंह की शैक्षिक समायोजन प्रमापनी का व्यवहार किया गया है।

सांख्यिकी प्रविधियाँ : मध्यमान, मानक विचलन, टी परीक्षण और प्रतिशत सह सम्बन्धी सार्थकता, सहसम्बन्ध गुणांक ज्ञात किया जाना।

न्यादर्श : न्यादर्श चयन हेतु निर्देशन (रैण्डम सैम्पलिंग) विधि को चुना।

विद्यालयों का चयन :

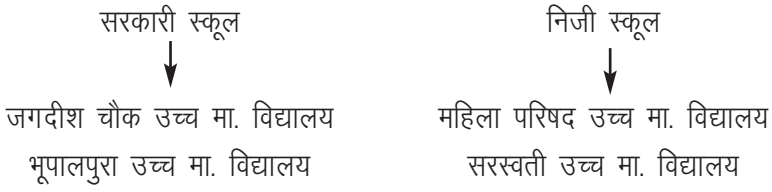

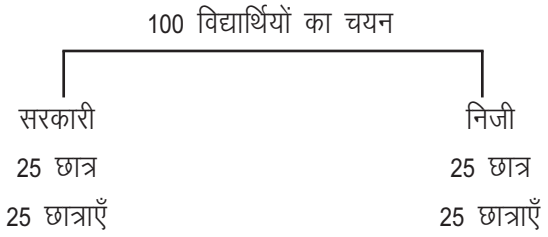

1. राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन में अन्तर।
2. राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन की तुलना।
3. राजकीय तथा निजी विद्यालयों के प्रकार की सुविधाओं के प्रति सार्थकता सहसम्बन्ध ज्ञात करना।
4. राजकीय तथा निजी विद्यालयों के प्रकार तथा शैक्षिक समायोजन में परस्पर सम्बन्ध ज्ञात करना।

अध्ययन के दौरान मध्यमान अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित सूत्र को क्रियान्वित किया गया है।

$$\text{CR-M1-M2} = \sqrt{\frac{(SD)2}{N1} + \frac{(SD)2}{N2}}$$

1. राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त दोनों समूह के मध्यमान, मानक विचलन तथा टी मान को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 1

क्र.स.	समूह	एन	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	.05 स्तर पर तथा 0.1 स्तर पर सार्थकता
1.	राजकीय विद्यालयों की छात्राएँ	50	9.53	4.48	.15	एन.एस.
2.	निजी विद्यालयों की छात्राएँ	50	9.67	4.31		

df = 100 के 0.5 स्तर पर मान 1.98 तथा .01 स्तर पर 2.63 है।

xx 0.5 स्तर पर सार्थक

x .01 स्तर पर सार्थक

राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के शैक्षिक समायोजन का मध्यमान प्रमापनी पद के प्राप्तांकों के आधार पर क्रमशः 9.53 और 9.69 पाया गया है तथा मानक विचलन 4.48 और 4.31 पाया गया है।

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 21

लेकिन टी मान .15 आया जो df = 98 के .05 स्तर के मान 1.98 तथा .01 स्तर के मान 2.63 के मान से कम है। अतः मध्यमान का सार्थक अन्तर नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों का शैक्षिक समायोजन एक ही प्रकार का है।

2. शैक्षिक समायोजन के संवेगात्मक क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन

सारणी 2

क्र.स.	समूह	एन	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	.05 स्तर पर तथा 0.1 स्तर पर सार्थकता
1.	राजकीय विद्यालयों की छात्राएँ	50	5.23	4.45	2.06	
2.	निजी विद्यालयों की छात्राएँ	50	7.16	5.18		

df = 100 के 0.5 स्तर पर मान 1.98 तथा .01 स्तर पर 2.63 है।

xx 0.5 स्तर पर सार्थक

राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के संवेगात्मक समायोजन का मध्यमान प्रमापनी के प्राप्तांकों के आधार पर क्रमशः 5.23 तथा 4.45 और मानक विचलन 7.16 तथा 5.18 पाया गया है।

मध्यमान के आधार पर निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का संवेगात्मक समायोजन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं से ज्यादा अच्छा है।

लेकिन टी मान 2.06 जो df = 98 के .05 स्तर में 1.98 के मान से अधिक अर्थात 2.06 है और .01 स्तर पर यह मान 2.63 के मान से कम है।

अतः मध्यमान का अन्तर 0.5 स्तर पर सार्थक है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का संवेगात्मक समायोजन निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं ज्यादा है।

3. राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के शैक्षिक समायोजन के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त दोनों समूह का मध्यमान तथा मानक विचलन एवं टी मान निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी 3

क्र.स.	समूह	एन	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	.05 स्तर पर तथा 0.1 स्तर पर सार्थकता
1.	राजकीय विद्यालयों की छात्राएँ	50	5.27	4.22	.164	एन.एस.
2.	निजी विद्यालयों की छात्राएँ	50	6.72	4.59		

राजकीय तथा निजी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के शैक्षिक समायोजन के सामाजिक क्षेत्र में प्रमापनी पर अभिव्यक्ति के प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान 5.27 और 4.22 तथा मानक विचलन 6.72 और 4.59 है।

स्पष्ट है कि निजी विद्यालय से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का मध्यमान ज्यादा अच्छा है।

लेकिन टी मान .164 आया है जो $df = 98$ के .05 स्तर के मान 1.98 तथा .01 स्तर के मान 2.63 के मान से कम है। अतः मध्यमान का सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। सामाजिक समायोजन की दृष्टि से दोनों ही विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का समायोजन समान है।

4. राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के शैक्षिक समायोजन के शैक्षिक क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन

सारणी 4

क्र.स.	समूह	एन	मध्यमान	मानक विचलन	टी मान	.05 स्तर पर तथा 0.1 स्तर पर सार्थकता
1.	राजकीय विद्यालयों की छात्राएँ	50	5.85	4.52	1.15	एन.एस.
2.	निजी विद्यालयों की छात्राएँ	50	4.88	4.23		

राजकीय तथा निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के समायोजन के शैक्षिक क्षेत्र में प्रमापनी के अभिव्यक्ति के प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान 5.85 और 4.88 तथा मानक विचलन 4.52 और 4.13 है।

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 23

मध्यमान के आधार पर निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का मध्यमान ज्यादा अच्छा है।

लेकिन टी मान 1.15 आया है जो df = 98 के .05 स्तर के मान 1.98 तथा .01 स्तर के मान 2.63 स्तर के मान से कम है।

अतः मध्यमान में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। दोनों ही विद्यालयों में पढने वाली छात्राओं का समायोजन शैक्षिक क्षेत्र में समान पाया गया।

निष्कर्ष :

1. समायोजन की दृष्टि से निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। दोनों विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का शैक्षिक समायोजन समान है।
2. समायोजन के क्षेत्र में संवेगात्मक समायोजन की दृष्टि से निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं में सार्थक अन्तर पाया गया है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का संवेगात्मक समायोजन ज्यादा है।
3. सामाजिक समायोजन की दृष्टि से निजी एवं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की अभिव्यक्त समायोजन सूची की में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।
4. समायोजन के क्षेत्र में शैक्षिक समायोजन की दृष्टि से निजी एवं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

भावी शोध हेतु सुझाव :

1. ग्रामीण तथा शहरी विद्यालयों के शैक्षिक समायोजन में परस्पर सम्बन्ध ज्ञात किया जा सकता है। विद्यालयों के शैक्षिक समायोजन का अध्ययन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक पर किया जा सकता है।
2. माध्यमिक स्तर एवं कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जा सकता है।

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 24

समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकता : सम्प्रेषण

–ब्रजेश कुमार वर्मा

सम्प्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में मानवीय संबंध स्थापित होते हैं, सुदृढ़ होते हैं और उत्तरोत्तर विकसित होते हैं। सम्प्रेषण के बिना समाज के इन जटिल संबंधों की संरचना करना कल्पनास्वरूप है। यह सार्वभौम सत्य है कि देश–काल व समयानुसार शिक्षा संकल्पना परिवर्तित होती रहती है। समय के अनुसार शिक्षा में उन्मेष उभरते हैं और माँग के अनुसार परिवर्तन करने ही पड़ते हैं। वैसे यह माना जाता है कि शिक्षा में परिवर्तन के कारण ही समाज में परिवर्तन होता है, किन्तु वास्तविकता इससे भिन्न ही होती है। परिवर्तन की प्रक्रिया पारिस्परिक है क्योंकि कतिपय परिवर्तन पहले समाज में होते हैं और आगे चल कर वही शिक्षा में दृष्टिगत होते हैं।

समाज के संबंधों में भाषा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। सच कहें तो समाज और भाषा को एक – दूसरे का पर्याय कहा जा सकता है क्योंकि बिना भावों और विचारों के आदान–प्रदान के समाज का स्वरूप विकसित नहीं होता है और परस्पर समाज के रूप को आधार देने वाले व्यक्ति जब तक अपनी भावनाओं अथवा अनुभूतियों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अभिव्यक्त नहीं करते तब तक उनके अन्तर्निहित, अद्‌भूत विचारों तथा गुणों की प्रभावशीलता का आंकलन नहीं किया जा सकता। विचारों तथा गुणों का यह शाब्दिक–अशाब्दिक प्रभाव ही 'सम्प्रेषण' है। इस लेख में सम्प्रेषण को इसी तरह समाज के अभिन्न अंग के रूप में लिया गया है।

सम्प्रेषण शिक्षा की 'रीढ़ की हड्‌डी' है क्योंकि सम्प्रेषण के बिना समाज में शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षक होने के नाते आप अपने प्रधानाचार्य से अथवा छात्रों से कुछ कहते हैं या छात्र आपको कुछ बताते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं या प्रधानाचार्य बुलाकर आपको आदेश देते हैं, प्रशंसा या आलोचना करते हैं, इसका अर्थ यह है कि सम्प्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। जब बच्चे एक –दूसरे का हाथ पकड़कर परस्पर कानों में फुसफुसाते हैं, तब भी सम्प्रेषण प्रक्रिया चल रही होती है। एक अच्छा भाषणकर्ता सदैव अपने हाव–भाव, मुख–मुद्रा तथा भाव–भंगिमाओं का प्रयोग अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए करता है।

अतः कहा जा सकता है कि सम्प्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव–भाव, मुख–मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान–प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं और एक विकसित समाज की संरचना करते हैं।

इसीलिए सम्प्रेषण समाज की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें :

– प्रेषण करने की,

– विचार विनिमय करने की,

– अपनी बात को दूसरों के सामने रखने तथा आदान–प्रदान करने की,

– विचारों, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं, सूचनाओं एंव ज्ञान के विनिमय करने की क्रिया निहित है।

सम्प्रेषण में प्रेषण क्रिया, आवाज के स्रोत (Source) तथा उसे प्राप्तकर्ता (Receiver) के बीच समान रूप से वितरित होती है तथा दोनों ही इसकी सफलता हेतु समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। यहां विचारों तथा भावों का एक ओर से दूसरी ओर स्थानान्तरण (Transfer) न होकर पारस्परिक रूप से आदान–प्रदान होता है। इस तरह सम्प्रेषण की प्रक्रिया एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जो प्रेषक और संग्राहक के मध्य होती रहती है।

सम्प्रेषण का क्षेत्र :

सम्प्रेषण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। यह एक ऐसा अन्तर्शास्त्रीय विषय है जिसका क्षेत्र असीमित है। सम्प्रेषण, प्रेषक और संग्राहक, इन दोनों के मध्य निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे प्रेषक और संग्राहक अपने विचारों, तथ्यों, भावनाओं, अभिवृत्तियों, दृष्टिकोणों की अन्तः क्रिया कर सके। अन्तःक्रिया की इस प्रक्रिया में कई प्रकार के संकेतों का उपयोग होता है ये संकेत शब्द, क्रिया, चित्र, संख्या आदि हो सकते हैं।

सम्प्रेषण का अभिप्राय निर्देशों, आदेशों, अनुदेशों को निचले स्तरों तक भेजना कदापि नहीं है क्योंकि ऐसा करने का अर्थ केवल एक दिशा में सम्प्रेषण करना ही होगा। द्विध्रुवीय सम्प्रेषण उच्च स्तरीय होता है। एक ध्रुवीय सम्प्रेषण सदैव नीचे की ओर होता है, जबकि द्विध्रुवीय सम्प्रेषण नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों ओर होता है।

सम्प्रेषण का प्रकार :

सम्प्रेषण दो प्रकार का होता है –

– आन्तरिक सम्प्रेषण

– वाह्य सम्प्रेषण

आन्तरिक सम्प्रेषण भावों के मध्य होता है, जैसे– किसी नेता का जनता के मध्य प्रतिष्ठा बनाना। आन्तरिक सम्प्रेषण प्रबन्धन के कार्यों, जैसे– निर्देशन, समन्वयन, नियोजन, व्यवस्थापन, प्रेरणा आदि के निष्पादन में सहायक होता है।

वाह्य सम्प्रेषण संगठन से बाहर सन्देशों को भेजने से संबंधित होता है।इस प्रकार का सम्प्रेषण शिक्षा, सरकार, उसके विभागों, उसकी व्यवस्था करने आदि से संबंधित होता है।

सम्प्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं :

1. सम्प्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया होती है।
2. सम्प्रेषण में मनो–वैज्ञानिक, सामाजिक पक्ष समावेशित होते हैं।
3. सम्प्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है।

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 26

4. सम्प्रेषण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है इसमें दो ध्रुव होते हैं – सम्प्रेषण तथा संग्राहक।
5. इसमें 'विचार–विमर्श' तथा 'विचार विनियम' पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
6. सम्प्रेषण एवं सूचनाओं में अन्तर होता है।
7. सम्प्रेषण में सामान्यतः व्यक्ति उन्हीं विचारों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, जिनकी उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, मूल्यों, प्रेरकों, परिस्थितियों या पृष्ठभूमि के अनुसार आकांक्षा होती है।
8. सम्प्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अन्तः क्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक होता है।
9. सम्प्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण समावेशित होता है।

सम्प्रेषण की प्रक्रिया :

सम्प्रेषण एक अन्तः क्रिया है जिसके द्वारा समाज को सुदृढ़ रूप प्रदान कर उसके संबंधों को विकसित किया जाता है। इसके बिना एक विकसित समाज के निर्माण की आशा करना व्यर्थ है। एक कक्षा कक्ष में सम्प्रेषण की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है जो शिक्षक – शिक्षार्थी के अन्तः संबंधों को प्रभावशाली बनाता है।

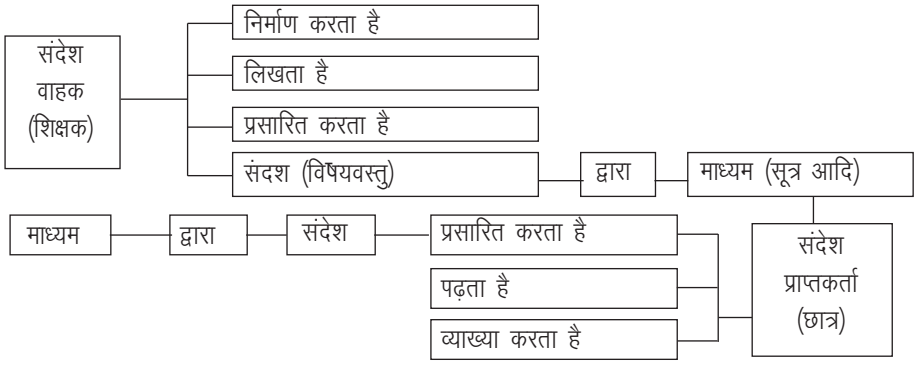

सम्प्रेषण प्रक्रिया के तत्व :

सम्प्रेषण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व निहित होते हैं –

1. सन्देश 2. प्रेषक 3. संकेतन 4. माध्य 5. संग्राहक 6. विसंकेतन

सम्प्रेषण के प्रकार :

प्रभावशाली शिक्षण – अधिगम प्रक्रिया को गत्यात्मक, सक्रिय तथा जीवन्त बनाने के लिए सम्प्रेषण की निरन्तरता आवश्यक होती है। शिक्षण में सम्प्रेषण को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है –

1– सम्प्रेषण माध्यम

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 27

2– सम्प्रेषण परिस्थितियों की दृष्टि से

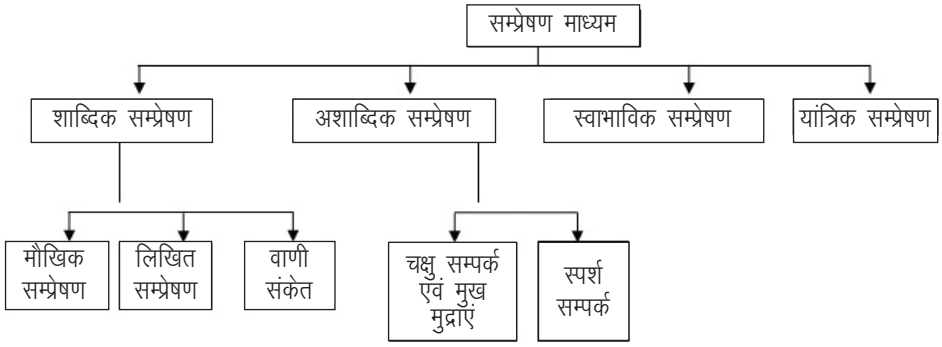

शाब्दिक सम्प्रेषण : वाचिक या शाब्दिक सम्प्रेषण का मूल उपकरण है – भाषा। अतः भाषा का उचित ज्ञान, शब्दों का सही प्रयोग, वाक्यों का गठन एवं उच्चारण का स्वरूप तथा बोलने की शैली, सम्प्रेषण प्रक्रिया के प्रभावी अंग हैं। बहुधा भाषा के आधे–अधूरे ज्ञान से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कई बार शब्दों के वास्तविक अर्थ को न समझने से भी सम्प्रेषण निष्प्रभावी हो जाता है।

अशाब्दिक सम्प्रेषण : अशाब्दिक सम्प्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी संकेत, चक्षु सम्पर्क, मुख–मुद्राओं के प्रयोग एवं स्पर्श–सम्पर्क आदि प्रमुख होते हैं।

हम भाषा सम्प्रेषण में चाहे कितने भी कुशल क्यों न हों अशाब्दिक सम्प्रेषण का प्रयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करते ही रहते हैं। कई अवस्थाओं में तो हमारे सामने अशाब्दिक सम्प्रेषण के तरीकों का प्रयोग करने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहता। कई बार अशाब्दिक सम्प्रेषण का प्रयोग हम इसलिए भी करते हैं कि इसके द्वारा सम्प्रेषण को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

स्वाभाविक एवं यांत्रिक सम्प्रेषण :

ऐसा सम्प्रेषण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह बिना किसी कृत्रिम साधन या उपकरण की सहायता लिये हुए स्वाभाविक रूप से विचारों तथा भावों का आदान–प्रदान करते हैं, प्राकृतिक या स्वाभाविक सम्प्रेषण कहलाता है। इसके विपरीत जब सम्प्रेषण स्वाभाविक रूप में न रहकर यांत्रिक बन जाते हैं अर्थात उसमें किसी प्रकार के वाहय् यन्त्र का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे में सम्पन्न सम्प्रेषण यांत्रिक या मशीनी सम्प्रेषण कहलाता है। बेतार, टेलीफोन आदि इसी श्रेणी में आते हैं।

सम्प्रेषण परिस्थितियों की दृष्टि से :

1. व्यक्तियों के मध्य सम्प्रेषण
2. अन्तः वैयक्तिक सम्प्रेषण

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 28

3. समूह सम्प्रेषण – लघु समूह तथा दीर्घ समूह
4. संगठनात्मक या संस्थागत सम्प्रेषण
5. जन माध्यम

मीडिया की भूमिका या उत्तरदायित्व संदेश के संग्राहक को जानकारी देने की है। संदेशों का संवहन सम्प्रेषण है। मास मीडिया (जन माध्यम) जनसाधारण तक सूचना प्रसारित करने का प्रयत्न करता है। जन माध्यम न केवल सूचित करता है अपितु प्रेरित भी करता है। मीडिया का प्रयोग मनोरंजन तथा व्यावसायिक भी हो सकता है। मीडिया के अभाव में कोई भी सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं होगी।

सम्प्रेषण प्रक्रिया में बाधाएं :

प्रभावशाली सम्प्रेषण की दृष्टि से देखा जाए तो पता चलता है कि सम्प्रेषण प्रक्रिया में कभी–कभी संगठनात्मक, भाषागत, व्यक्तिगत, मनोविज्ञान तथा अन्य अवरोध आ जाते हैं जिनके कारण सम्प्रेषण तथा संग्राहक के बीच गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है जो संगठनात्मक रूप से संगठन के सदस्यों के मध्य भ्रम उत्पन्न कर देती है तथा कर्मचारियों के मनोबल को विपरीत रूप से प्रभावित करती है।

बाधाओं को दूर करने के उपाय :

कक्षा–कक्ष में तथा अन्य रूप में आने वाली बाधाओं को मुख्यतः तीन रूपों में दूर किया जा सकता है –

मनौवैज्ञानिक :

1. बच्चों को समझाएं, याद रखें कि प्रारम्भ में जो बच्चे नासमझ समझे जाते थे, आगे चलकर वे महान भी हुए हैं।
2. बच्चों को प्रेरणा, प्रोत्साहन लगातार देते रहें।
3. आत्म–विश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरक कथाएं सुनाएं।
4. सरल प्रश्न पूछें ताकि वे सरलता से उत्तर दे सकें।
5. उत्तरों को सुनकर तुरन्त शाबासी दें।
6. यदि जबाव गलत हो तो उसे एकदम गलत न कहें, उसे बताएँ उसके कौन से अंश गलत हैं।
7. बच्चों को स्वयं गलती सुधारने का मौका दें।
8. हतोत्साहित करने वाले सम्बोधन न करें।

भौतिक :

1. शिक्षण के लिए पर्याप्त कमरे, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, दृश्य–श्रव्य सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।
2. शिक्षण रोचक बनाने के लिए वास्तविक वस्तु, चित्र, मॉडल, नमूने, पत्र–पत्रिकाएं, कहानियों के

कट–आउट्स आदि का प्रयोग करना चाहिए।

सामाजिक :

1. बच्चों की अनुपस्थिति एवं पाठशाला त्याग को कम करने के लिए अभिभावक से सम्पर्क करें।
2. पाठशाला में बच्चों द्वारा बनाई हुई सामग्री, क्रियाओं अथवा प्रयोग आदि को अभिभावकों के सामने प्रदर्शित करें।
3. समुदाय को पाठशाला की गतिविधियों की ओर आकर्षित करें।
4. हंसमुख स्वभाव, बात करने का ढंग, बड़ों के प्रति आदर जैसे गुणों से समुदाय से घनिष्टता स्थापित करें।

प्रभावशाली सम्प्रेषण :

कक्षा–कक्ष जो समाज का लघु रूप है, में दोनों प्रकार के सम्प्रेषणों का प्रयोग शिक्षण को प्रभावशाली बना देता है। प्रभावशाली सम्प्रेषण में शिक्षक एवं छात्र मिलकर सम्प्रेषण प्रक्रिया को नया स्वरूप प्रदान करते हैं।

हरबर्ट के अनुसार, '' शिक्षक का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को छात्रों तक पहुँचाना है। शिक्षक इसके लिए जितने प्रभावशाली ढंग से उनका सम्प्रेषण करते हैं उन्हें उतना ही सफल शिक्षक कहा जाता है।''

प्रभावशाली सम्प्रेषण के लिए निम्न बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है :

1. यथासम्भव सरल, सुगम, सुबोध, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
2. संदेश इस प्रकार का हो कि संदेश प्राप्त करने वाला उसे आसानी से समझ सके।
3. संदेश में यदि किसी बिन्दु पर विशेष बल देने की जरूरत हो तो आवश्यकता महसूस होने पर उसकी पुनरावृत्ति भी की जा सकती है।
4. एक के साथ अनेक चैनलों का प्रयोग किया जा सकता है या एक के बाद दूसरे चैनल का भी प्रयोग किया जा सकता है।
5. पृष्ठपोषण (Feedback) की सही व्यवस्था की जाये जिससे पता चल सके कि संदेश सही अर्थ प्रेषित कर सका है या नहीं।
6. सुनने की अच्छी आदत डालनी चाहिए।
7. सम्प्रेषण प्रक्रिया में देरी करने वाले तत्वों पर नजर रखनी चाहिए।
8. संदेश में उसके उद्देश्य तथा मुख्य बिन्दुओं को स्पष्टरुप से समझना चाहिए।

निष्कर्षतः सम्प्रेषण का सवाल शाब्दिक–अशाब्दिक शब्दों से नही बंधा है। सच तो यह है कि दोनों प्रकार के सम्प्रेषण के प्रयोग के बिना कोई भी सम्प्रेषण प्रभावशाली नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षक – अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए तकनीकी, शिक्षा दर्शन आदि का सटीक ध्यान रखे । बाल मनोविज्ञान की जानकारी के

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 30

बिना भी सम्प्रेषण प्रक्रिया नहीं चल सकती है। अतः एक शिक्षक के लिए विषय पर पूर्ण अधिकार, बाल मनोविज्ञान, सम्प्रेषण कौशल की जानकारी का होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए शिक्षक को सम्प्रेषण कौशल के प्रति सजग और सचेत दृष्टि अपनानी होगी, तभी एक उन्नत समाज का विकास हो सकेगा और सम्प्रेषण सार्थक रूप में शिक्षा के माध्यम से अभिन्न अंग बनकर देश को विकसित बनाने में सहयोग दे सकेगा।

संदर्भ :

1. चैपल, सूसन एवं अन्य (1997) : लर्निंग टू टीच इन द सैकेण्डरी स्कूल, कम्पेनियन टू स्कूल एक्सपीरियन्स, राउटले, लंदन।
2. चोम्स्की, नोअम (1972) : लैंगुएज एण्ड माइण्ड, हारकोर्ट ब्रेस जावानोविच, इंक, न्यूयोर्क।
3. के. मुरली मनोहर (1986) : मिडिया एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद ओपन लर्निंग सोसाइटी, हैदराबाद।
4. मिल्लर, भोरोड एवं अन्य (1998) : कनेक्टिंग विद शेल्फ एण्ड अदर्स , इन्टरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोग्राम, लिटिलटन कम्पनी, आई. एन. सी.।
5. राबर्टसन, जे. (1989) : इफेक्टिव क्लास रूम कन्ट्रोल अन्डरस्टेंडिंग प्यूपिल टीचर रिलेशनशिप्स् (द्वितीय संस्करण), होडर एवं स्टॉटन, लंदन।

जब तक औरतें अपने पैरों पर खडी नहीं हो जातीं, तब तक उनके प्रति दकियानूसी सामाजिक दृष्टिकोण बदलना भी असंभव है। आर्थिक अत्मनिर्भरता से ही समाज में बराबरी का दर्जा पाया जा सकता है।

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 31

प्रारंभिक स्तर पर संचालित मिड – डे – मील योजना के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन

हरीश चन्द्र चौबीसा

लक्ष्मी नारायण चौबीसा

बालक कमल के फूल की भांति कोमल होते हैं। पुष्प रूपी इन बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु समय के अनुकूल प्रभावी पोषण की आवश्यकता होती है। उपयुक्त आहार के अभाव में इनका परिपूर्ण विकास सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा था – '' राष्ट्र को सुदृढ व सशक्त स्वरूप प्रदान करने वाले इन बालकों का सर्वांगीण विकास एवं इनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा प्रथम दायित्व है, इनको इनके अधिकारों से वंचित करने का मतलब इनके सर्वांगीण विकास को अवरूद्ध करना है।''

देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने भी गांधी के इसी बात का समर्थन करते हुए योजना आयोग की एक रिपोर्ट में कहा है कि ''राष्ट्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे समाज के प्रत्येक नागरिक को इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।''

वर्तमान संदर्भ में देखा जाये तो राष्ट्र के सशक्तीकरण हेतु अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जैसे महानरेगा योजना, छात्रवृति – प्रोत्साहन योजना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, स्वच्छ–निर्मल ग्राम योजना, पंचायत सशक्तीकरण योजना, पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आदि। इसके साथ ही विद्यालय में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने, गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने , मानसिक रूप से उन्हें परिपक्व बनाने तथा विद्यालय में उनकी एकाग्रता बनाये रखने के लिए भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु मिड–डे–मील योजना का राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन भी किया गया है जो एक बड़ी उपलब्धि है इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन ताजा आंकडों के विश्लेषण एवं बिहार व उतराखण्ड में मिड–डे–मील के तहत परोसे गये विशाक्त भोजन से तीस बच्चों की मौत ने एक यक्ष प्रश्न खडा कर दिया है कि जो समाज विद्यालय को अपने बालकों के सर्वांगीण विकास का पावन तीर्थ मानता है, उसी पावन तीर्थ के आंगन में बच्चों द्वारा मना किए जाने पर भी उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों की मनमानी से बच्चों को जबरन विशाक्त भोजन क्यों खिलाया गया? क्या यह एक जघन्य हत्या व अपराध के बराबर नही हैं? क्या उन्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? बच्चों की मौत पर हो रही राजनीति से यह प्रश्न खडा होता

है, कि क्या भारत का भविष्य ऐसे आंगन में पोषित हो रहा है जहां भोजन में मरी हुई छिपकलियों, कीड़े एवं सड़ी–गली दालों, अध कच्ची पक्की रोटियों को खिलाकर मिड–डे–मील के कागजों की खाना–पूर्ति को ही गुणात्मक प्रबंधन का दर्जा दे दिया जाता है? इससे तो अच्छा होगा कि एक माँ ठण्डी रोटी को ही गरम करके प्याज के साथ अपने बच्चों को खुशी–खुशी खिलाये। इससे बच्चों को कम से कम विशाक्त भोजन का सेवन तो नहीं करना पडेगा।

हम अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कुपोषण से भारत को बचाने के लिए संचालित इस महती योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व केवल एक शिक्षक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। इस योजना के प्रभावी एवं गुणात्मक क्रियान्वयन में राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की शत प्रतिशत सहभागिता नितान्त आवश्यक है, ताकि बच्चों को विद्यालय में पौष्टिक आहार मिले, बच्चों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित हो सके तथा मानसिक व शारीरिक रूप से वे परिपक्व बन सकें। अतः विद्यालयों में मिड–डे–मील योजना की स्थिति क्या है? विद्यालयों में दिए जाने वाले भोजन की पौष्टिकता, गुणवत्ता कैसी है? इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में क्या–क्या समस्याएँ हैं? इनका समाधान क्या और कैसे हो सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर तलाश करने की दिशा में शोधकर्ता ने इस विषय का चयन किया है।

समस्या कथन : प्रस्तुत शोधकार्य हेतु निम्नलिखित समस्या का चयन किया गया है – ''प्रारंभिक स्तर पर संचालित मिड–डे–मील योजना के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन।''

पारिभाषिक शब्दावली

प्रारंभिक स्तर : प्रारंभिक स्तर का तात्पर्य वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठवीं स्तर के विद्यार्थियों से है।

मिड–डे–मील योजना : मिड–डे–मील योजना का तात्पर्य कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के समवेत प्रयासों से बच्चों को स्कूलों में मध्यान्ह समय दिए जाने वाले निःशुल्क भोजन व्यवस्था से है, जो कि बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करने, विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढाने, आपसी सद्भाव बनाये रखने तथा विद्यालयों में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है।

अभिमत : प्रस्तुत शोधकार्य में अभिमत का तात्पर्य मिड–डे–मील योजना के संदर्भ में पूछी गई राय से है। यह सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है।

शोध के उद्देश्य – प्रस्तुत शोधकार्य हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए –

1. मिड –डे–मील योजना के प्रति विद्यार्थियों का अभिमत ज्ञात करना ।

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 33

2. मिड–डे–मील योजना के प्रति शिक्षकों का अभिमत ज्ञात करना ।

3. मिड–डे–मील योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना ।

परिसीमनः इस शोधकार्य को उदयपुर जिले के गिर्वा तहसील में संचालित प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों तक ही सीमित रखा गया है।

न्यादर्शः इस शोधकार्य में न्यादर्श का चयन उदयपुर जिले के गिर्वा तहसील में स्थित दस राजकीय प्रारंभिक (कक्षा एक से आठवीं तक) विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के मध्य से किया गया है।

– यह चयन यादृच्छिक विधि के आधार पर किया गया। न्यादर्श में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की संख्या निम्नानुसार रखी गई हैः

क्र.सं.	कुल न्यादर्श	संख्या
1.	विद्यार्थियों की संख्या	200, प्रत्येक राजकीय विद्यालय से 10 विद्यार्थी
2.	अध्यापकों की संख्या	50, प्रत्येक राजकीय विद्यालय से 5 अध्यापक

शोध विधिः प्रस्तुत शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया क्योंकि मिड–डे–मील योजना के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का अभिमत ज्ञात करना ही इस शोध का मुख्य उद्देश्य है और इस हेतु व्यवस्थित ऑकडों का संकलन एवं विश्लेषण सर्वेक्षण विधि के माध्यम से ही किया जाना संभव था।

उपकरणः प्रस्तुत शोधकार्य में ''मिड–डे–मील योजना के प्रति अभिमत ज्ञात करने हेतु विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए स्वनिर्मित मिड–डे–मील योजना के प्रति अभिमत प्रश्नावली'' नामक उपकरण का उपयोग किया गया ।

सांख्यिकी तकनीकीः इस शोध में प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण प्रतिशत तकनीकी के आधार पर किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषणः प्रस्तुत शोधकार्य में प्रदत्तों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से स्वनिर्मित मिड–डे–मील योजना अभिमतावली को भरवाया गया। उक्त प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त प्रदतों का विश्लेषण कथनवार निम्नानुसार हैः

(अ) मिड–डे–मील योजना के प्रति विद्यार्थियों के अभिमत से प्राप्त प्रदत्तों का कथनवार विश्लेषण –

तालिका– 1

1. मिड–डे–मील योजना में भोजन के सही समय पर उपलब्धता के आधार पर अध्ययन–

क्र.सं.	कथन	विद्यार्थियों का अभिमत प्रतिशतवार			
		कुल न्यादर्श	हॉ	ना	संभावित कारण
1.	क्या आपको मिड–डे–मील योजना का भोजन सही समय पर प्राप्त हो जाता है ?	200	87	13	सही समय पर भोजन वितरण नहीं होंने से विद्यार्थियों को असुविधा हो सकती

तालिका एक के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 87 प्रतिशत विद्यार्थियों को सही समय पर भोजन उपलब्ध हो जाता है, जबकि 13 प्रतिशत विद्यार्थियों को सही समय पर मध्यान्ह में भोजन उपलब्ध नहीं होता है।

2. मिड–डे–मील योजना में भोजन की पर्याप्त उपलब्धता के आधार पर अध्ययन–

तालिका – 2

क्र.सं.	कथन	विद्यार्थियों का अभिमत प्रतिशतवार			
		कुल न्यादर्श	हॉ	ना	संभावित कारण
2.	क्या आपको मिड–डे–मील योजना का भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है ?	200	85	15	सही एवं उचित मात्रा में खाद्य – सामग्री का ना बनना।

तालिका दो का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि 85 प्रतिशत विद्यार्थियों को मिड–डे–मील योजना का मध्यान्ह भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, जबकि 15 प्रतिशत विद्यार्थियों को आज भी पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं होता है।

3. मिड–डे–मील योजना में राज्य सरकारों द्वारा घोषित व्यंजनों के अनुसार ही भोजन की उपलब्धता का अध्ययन–

तालिका – 3

क्र.सं.	कथन	विद्यार्थियों का अभिमत प्रतिशतवार			
		कुल न्यादर्श	हॉ	ना	संभावित कारण
3.	क्या आपको मिड–डे–मील	200	48	52	एक ही प्रकार की

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 35

योजना में राज्य सरकारों द्वारा घोषित व्यंजनों के अनुसार ही भोजन प्राप्त होता है ?	खाद्य सामग्री उपलब्ध होने के कारण घोषित व्यंजनों के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है।

तालिका तीन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि 48 प्रतिशत विद्यार्थियों को मिड–डे–मील योजना का मध्यान्ह भोजन राज्य सरकारों द्वारा घोषित व्यंजनों के अनुसार उपलब्ध हो जाता है, जबकि 52 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि भोजन के व्यंजनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा दाल, रोटी और चावल ही दिए जाते हैं।

4. मिड–डे–मील योजना में भोजन के स्वादिष्ट व रूचिकर होने का अध्ययन–

तालिका – 4

क्र.सं.	कथन	विद्यार्थियों का अभिमत प्रतिशतवार			
		कुल न्यादर्श	हॉ	ना	संभावित कारण
4.	क्या आपको मिड–डे–मील में दिये जाने वाला भोजन स्वादिष्ट व रूचिकर लगता है?	200	46	54	अधिकांश विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन के रूप में बारम्बार दाल रोटी ही दी जाती है।

तालिका चार का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि 46 प्रतिशत विद्यार्थियों को मिड–डे–मील योजना का भोजन स्वादिष्ट व रूचिकर लगता है, जबकि 54 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि मध्यान्ह भोजन में बारम्बार दाल, रोटी और चावल देने से भोजन अरूचिकर हो जाता है तथा यह स्वादिष्ट भी नहीं होता है। भोजन में दी जाने वाली रोटियां भी अध – पकी एवं कच्ची होती हैं।

5. मिड–डे–मील योजना में भोजन के पश्चात स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रभाव के आधार पर अध्ययन –

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 36

तालिका – 5

क्र.सं.	कथन	विद्यार्थियों का अभिमत प्रतिशतवार			
		कुल न्यादर्श	हॉ	ना	संभावित कारण
5.	क्या आपको मिड–डे–मील योजना का भोजन करने के पश्चात आपकी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या रहती है?	200	39	61	कभी – कभी कच्ची रोटियां एवं स्वादहीन भोजन से तबीयत खराब हो सकती है ।

तालिका पांच का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि 39 प्रतिशत विद्यार्थियों को मिड–डे–मील योजना का भोजन करने पश्चात स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या रहती है ,जबकि 61 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि स्वास्थ्य सामान्य रहता है। अतः जिन बच्चों का स्वास्थ्य भोजन के पश्चात बिगड़ता जा रहा है उनके प्रति विद्यालय प्रबंधन समिति का जागरूक रहना आवश्यक है, ताकि सही समय पर निर्णय कर बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या का समाधान किया जा सके ।

(ब) ''मिड–डे–मील योजना के प्रति शिक्षकों का अभिमत'' से प्राप्त प्रदत्तों का कथनवार विश्लेषण –

6. मिड–डे–मील योजना विद्यालयों के सर्वांगीण विकास का आधार है, के संबंध में शिक्षकों के अभिमत –

तालिका – 6

क्र.सं.	कथन	विद्यार्थियों का अभिमत प्रतिशतवार			
		कुल न्यादर्श	हॉ	ना	संभावित कारण
6.	क्या आपके दृष्टि से मिड–डे–मील योजना कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त है?	50	46	54	आए दिन भोजन की गुणवत्ता पर सवाल खडे किया जाना, भोजन का स्वादहीन होना, अरूचिकर प्रतीत होना आदि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आधार नहीं हो सकता है।

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 37

तालिका छह का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि 46 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि 'मिड–डे– मील' योजना में दिए जाने वाले भोजन से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव है बशर्ते कि इसे प्रभावी तरीके से संचालित किया जाए। वहीं 54 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि ''मिड–डे–मील'' योजना में दिए जाने वाले भोजन से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, क्योंकि भोजन स्वादहीन, अरूचिकर एवं पौष्टिकता से युक्त नहीं होता है।

7. मिड–डे–मील योजना से विद्यार्थियों की अध्ययन व्यवस्था एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन

तालिका – 7

क्र.सं.	कथन	विद्यार्थियों का अभिमत प्रतिशतवार			
		कुल न्यादर्श	हॉ	ना	संभावित कारण
7.	क्या आपके दृष्टि से मिड–डे–मील योजना से विद्यार्थियों की अध्ययन व्यवस्था एवं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है?	50	68	32	भोजन वितरण में अव्यवस्था तथा मध्यान्ह भोजन के बाद बच्चों का समय पर कक्षा में ना जाना।

तालिका सात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 68 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि मिड –डे–मील योजना में सभी बच्चों के लिए एक साथ भोजन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित न होने औार इसी कारण से भोजन के बाद नियत समय पर कक्षा में विद्यार्थियों के ना पहुँचने से अध्यापन व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जबकि 32 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है, कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

8 . मिड–डे–मील योजना में वितरित हॉने वाले भोजन की स्वादिष्टता एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 38

तालिका – 8

क्र.सं.	कथन	विद्यार्थियों का अभिमत प्रतिशतवार			
		कुल न्यादर्श	हॉ	ना	संभावित कारण
1.	क्या आप मिड–डे–मील योजना में वितरित होने वाले भोजन की स्वादिष्टता, पौष्टिकता तथा गुणवत्ता से संतुष्ट हैं ?	50	40	60	लाखों बच्चों का एक साथ भोजन तैयार होने से एवं खाद्य सामग्री का गुणवत्ता युक्त न होने से गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

तालिका आठ का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि 40 प्रतिशत शिक्षक मानते हैं कि 'मिड–डे–मील योजना में दिए जाने वाले भोजन की स्वादिष्टता, पौष्टिकता, गुणवत्ता से वे संतुष्ट हैं, जबकि 60 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता संतोषप्रद नहीं है । इसका संभावित कारण यह हो सकता है, कि लाखों बच्चों का भोजन एक साथ बनने तथा गुणवत्ता युक्त खाद्य– सामग्री के उपयोग न होने कारण भोजन की गुणवत्ता प्रभावित होती है ।

9 . मिड–डे–मील योजना के क्रियान्वयन में आने वाले समस्याओं के संबंध में शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन–

तालिका – 9

क्र.सं.	कथन	विद्यार्थियों का अभिमत प्रतिशतवार			
		कुल न्यादर्श	हॉ	ना	संभावित कारण
9.	क्या आपको मिड–डे–मील योजना को क्रियान्वित करने (हिसाब रखने, प्रबंधन करने, संचालित करने वितरण) आदि में समस्याओं का का होना।	50	67	23	विद्यालय समय में ही इस गतिविधि को संचालित करना तथा प्रशासनिक अव्यवस्थाओं सामना करना पड़ता है?

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 39

तालिका नौ का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है, कि 67 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि '' मिड–डे– मील '' योजना को क्रियान्वित करने, हिसाब रखने, प्रबंधन करने, संचालन करने, वितरण व्यवस्था समुचित न होने के कारण तथा प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण विभिन्न समस्याओं का सामना करना पडता है जबकि 23 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है।

10 . सरकार द्वारा मिड–डे–मील योजना से बेहतर विकल्प का तलाश करने के संबंध में शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन –

तालिका – 10

क्र.सं.	कथन	विद्यार्थियों का अभिमत प्रतिशतवार			
		कुल न्यादर्श	हॉ	ना	संभावित कारण
10.	क्या आपके दृष्टि से सरकार को मिड–डे–मील योजना की गुणवत्ता हेतु इससे बेहतर विकल्प सोचना चाहिए?	50	86	14	भोजन की स्वादिष्टता एवं इसका रूचिकर न होना तथा प्रबंधन समस्या की संभावना।

तालिका दस का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि 86 प्रतिशत शिक्षक प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के चलते तथा भोजन की गुणवत्ता हेतु इस योजना के स्थान पर अन्य योजना या बेहतर विकल्प का होना उचित मानते है, जबकि 14 प्रतिशत शिक्षक कोई बदलाव नहीं चाहते।

11. निष्कर्ष एवं सुझाव : प्रारंभिक स्तर पर संचालित '' मिल–डे–मील '' योजना के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के अभिमत से प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष उभर कर सामने आते हैं :

मिड–डे–मील योजना के प्रति विद्यार्थियों के अभिमत से प्राप्त विश्लेषण का निष्कर्ष –

1. मिड–डे–मिल योजना में 87 प्रतिशत विद्याथियों को भोजन सही समय पर प्राप्त हो जाता है, लेकिन 13 प्रतिशत विद्यार्थियों को भोजन सही समय पर प्राप्त नहीं होता। मध्यान्ह भोजन के

वितरण की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने पर यह समस्या समाप्त हो जाएगी।

2. 'मिड–डे–मील' भोजन में 85 प्रतिशत विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो जाता है, जबकि 15 प्रतिशत विद्यार्थियों को आज भी पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में सभी विद्यार्थियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करा इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है।
3. राज्य सरकारों द्वारा घोषित व्यंजनों के अनुसार 48 प्रतिशत विद्यार्थियों को ही मध्यान्ह भोजन उपलब्ध हो पाती है जबकि 52 प्रतिशत विद्यार्थी आज भी इससे वंचित हैं। खाद्य सामग्री की समुचित खरीददारी कर तथा व्यवस्था का सुचारु प्रबंधन सुनिश्चित कर समस्या का समाधान किया जा सकता है।
4. 'मिड–डे–मील' योजना का भोजन आज भी 54 प्रतिशत विद्यार्थियों को अस्वादिष्ट व अरूचिकर लगता है, जबकि 46 प्रतिशत विधार्थी केवल भूखवश इसे खाते हैं। अतः मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता व इसे रूचिकर बनाने के लिए दाल – रोटी की नियमितता के अलावा अन्य व्यंजनों पर भी ध्यान देना जरुरी है।
5. मिड–डे–मील योजना में आज भी 39 प्रतिशत विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पडता है केवल 61 प्रतिशत विधार्थियों का स्वास्थ्य सामान्य है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न न हो इसलिए भोजन पूर्ण रूप से स्वच्छ वातावरण में बने, रोटियां सिकी हुई हों एवं पौष्टिक दाल तथा सब्जी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके इस हेतु प्रभावी कदम उठाना चाहिए।

मिड–डे–मील योजना के प्रति शिक्षकों के अभिमत से प्राप्त विश्लेषण का निष्कर्ष –

6. 46 प्रतिशत शिक्षक 'मिड–डे–मील योजना' को बालक के सर्वांगिण विकास का आधार मानते है, जबकि 54 प्रतिशत शिक्षक ऐसा नहीं मानते। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षकों के सुझावानुसार भोजन की स्वादिष्टता, पौष्टिकता आदि का ध्यान रखना होगा ताकि बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।
7. 68 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि 'मिड–डे–मील से विद्यार्थियों की अध्ययन व्यवस्था व शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है जबकि 32 प्रतिशत शिक्षक ऐसा नही मानते हैं। भोजन वितरण की व्यवस्था प्रभावी बनानी होगी ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जा सके।
8. मिड–डे–मील योजना में वितरित होने वाले भोजन की स्वादिष्टता, गुणवत्ता एवं पौष्टिकता से 60 प्रतिशत शिक्षक असहमत है जबकि 40 प्रतिशत इसे सामान्य स्तर का मानते हैं। अतः

भोजन बनाते समय खाद्य–सामग्री की गुणवत्ता तय करना आवश्यक है, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके।

9. मिड–डे–मील योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में 67 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि इसके प्रबंधन में समस्या आती है, जबकि 23 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि वे अपने स्तर पर समस्या का समाधान कर देते हैं। अतः इस प्रकार की योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक विचार–विमर्शो की आवश्यकता है ताकि समस्या का समाधान प्रभावी तरीके से किया जा सके।
10. विद्यार्थियों के लिए मध्यान्ह भोजन के संबंध में 82 प्रतिशत शिक्षक बेहतर विकल्प का सुझाव देते हैं जैसे स्कूलों में मूलभूत सुधार, भोजन के बदले छात्रवृत्ति, गरीबों को खाद्यान्न, एन.जी. ओ. से बने–बनाये भोजन की प्रभावी आपूर्ति, शिक्षकों पर बोझ न डालना, एक स्वतंत्र शिक्षक की इस हेतु नियुक्ति आदि जबकि 14 प्रतिशत इसे यथावत रखने पर सहमत हैं। बेहतर विकल्प के लिए हमें नवीन–योजना को एक मंच पर प्रस्तुत कर सबकी सहभागिता प्राप्त करनी होगी।

संदर्भ

1. ढौडियाल,एस.एन. एवं पाठक 1972: शिक्षा अनुसंधान का विधिशास्त्र ,राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
2. कौल, लोकेश (2006): शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, नई दिल्ली विकास पब्लिशिंग हॉउस प्रा. लि.।
3. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
4. मननशील शिक्षक 2007: एन.सी.ई. आर.टी. श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली।
5. सर्व शिक्षा अभियान रिर्पार्ट 2010: एस. आई. ई. आर. टी. उदयपुर (राज.)।
6. राजस्थान पत्रिका का अंक – 28 जुलाई 2013 विशेषांक।
7. अग्रवाल यु.सी. (2004): सर्व शिक्षा अभियान वृहद लक्ष्य ,नई दिल्ली।
8. मिड–डे–मील योजना (माड्यूल) 2008 एस.आई.ई.आर.टी ,उदयपुर (राज.)
9. Good Bar and Scates (1959): "Methodology of Educational Research' Applenton Century, New York
10. Walter Borg (1963): Educational Research: An Introduction, New York.
11. Buch. M.B. (Ed.) (1988): Fourth Survey of Research in Education N.C.E.R.T., New Delhi
12. www.etnologue.com
13. www.middaymil.com

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 42

हमारे लेखक

श्रीमती कमला जी
राज्यपाल,
राजभवन
गांधीनगर
गुजरात

भवानीशंकर गर्ग
कुलाधिपति
जनार्दनराय नागर
राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड)
विश्वविद्यालय,
उदयपुर, राजस्थान

अनिता कोठारी
सहायक आचार्या, L.M.T.T.C. (CTE)
दबोक, उदयपुर
राजस्थान

घीसालाल लोधा
शोधार्थी, ज. रा. ना. राज. विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
उदयपुर,
राजस्थान

ब्रजेश कुमार वर्मा
2/25, आवास विकास
कॉलोनी,मैनपुरी
उत्तर प्रदेश

हरीश चन्द्र चौबीसा
सहायक आचार्य
लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण
महाविद्यालय
राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय
उदयपुर, डबोक

लक्ष्मी नारायण चौबीसा
सहायक आचार्य
ज्योति बा फूले शिक्षक प्रशिक्षण
महाविद्यालय
उदयपुर, राजस्थान

ps Jan-Mar'14_feb'11 pror shiksha.qxd 4/16/2014 4:25 PM Page 43

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

संरक्षक
प्रो. भवानीशंकर गर्ग

अध्यक्ष
श्री के. सी. चौघरी

उपाध्यक्ष
डा. एम.एस. राणावत
श्री एस. वाई. शाह
श्रीमती निशात फारुख
श्री सुधीर चटर्जी
डा. वी. रेघु

महासचिव
डा. मदन सिंह

कोषाध्यक्ष
डा. पी. ए. रेड्डी

संयुक्त सचिव
श्री एस. सी. खण्डेलवाल

सह–सचिव
श्री ए. एच. खान
डा. एल. राजा
श्री मृणाल पंत
डा. सरोज गर्ग

सदस्य
डा. ओ.पी.एम. त्रिपाठी
डा. उषा राय
श्री के. एस अन्नथ सुबाराव
श्री डी. के. वर्मा
श्री दुर्लभ चेतिया
डा. डी. उमा देवी
श्री हरीश कुमार एस.
श्रीमती राजश्री बिस्वास